

2025/550

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

गेंद कंवर

बनाम

तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा

136 ए

मु.नं. 257 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
30/07/25	<p>प्रार्थीया गेंद कंवर पत्नी राम सिंह जाति चारण निवासी ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम दीपपुरा चारणान पटवार हल्का अनोखूं तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 18, 17 व 50 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि गेन्दा पत्नी रामसिंह दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीया के नाम की सही प्रविष्टि गेंद कंवर पत्नी राम सिंह है। प्रार्थीया के नाम से बने आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व मतदाता पहचान-पत्र आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि गेंद कंवर पत्नी राम सिंह अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि गेन्दा पत्नी रामसिंह के स्थान पर गेंद कंवर पत्नी राम सिंह दुरुस्त किया जावें।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीया के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भूअ./2025/1227 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दीपपुरा चारणान पटवार हल्का अनोखूं तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 18, 17 व 50 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि गेन्दा पत्नी रामसिंह के स्थान पर गेंद कंवर पत्नी राम सिंह दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भूअ./2025/1227 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर है।</p>



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

